

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-9
संख्या-341/पांच-9-2019-6(74)/94टी0सी0-1
लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

गर्भधारण पूर्व और प्रसूति निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या-57, सन् 1994) की धारा-17 की उपधारा-6 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, राज्य समुचित प्राधिकरण को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक राज्य सलाहकार समिति का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- 1 डा0 विनीता दास, विभागाध्यक्ष स्त्री रोग विभाग, -अध्यक्ष
के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
- 2 डा0 अरुणा नारायण, बाल रोग विशेषज्ञ, सिफसा, लखनऊ -सदस्य
- 3 डा0 कौशिक मण्डल, -सदस्य
एस0जी0पी0जी0आई0, सी-ब्लाक
रायबरेली रोड, लखनऊ
- 4 श्रीमती कुल्सुम तलहा, -सदस्य
वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्त्री,
सी0-23 दिलकुशा कालोनी, लखनऊ।
- 5 सुश्री नेहा चौधरी, राज्य प्रबन्धक, प्लान इण्टरनेशनल, -सदस्य
3/269, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 6 डा0 सहबा हुसैन, बेटी फाउण्डेशन, महानगर लखनऊ। -सदस्य
- 7 वरिष्ठ विधि अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, -सदस्य
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नामित
प्रतिनिधि।

प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या-341(1)/पांच-9-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन नई दिल्ली।
- 2- समिति के समस्त सदस्यगण।
- 3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ०प्र० शासन।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०।
- 5- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ०प्र० लखनऊ।
- 6- महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन परिवार कल्याण महानिदेशालय उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-प०क०/10-जे०डी०/1048(vol-ii)/2019/9788 दिनांक 11.03.2019 के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकि० स्वा० एवं परिवार कल्याण उ०प्र०।
- 8- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी उ०प्र०।
- 9- संयुक्त निदेशक (आई०ई०सी०) आई०ई०सी० ब्यूरो-4 पण्डित नगर लखनऊ उ०प्र०।
- 10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा के
(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

ई-मेल

कार्यालय राज्य समुचित प्राधिकरण (पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम, 1994),

परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृ०सं०-प०क०/10-जे०डी०/1048(Vol-II)/2019/1499-196 लखनऊ, दिनांक ०५ जुलाई 2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) समस्त जिला-मजिस्ट्रेट/समुचित प्राधिकारी, पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम, 1994, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (7) समिति के समस्त सदस्यगण।

(नीना गुप्ता)

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण

(पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम, 1994),

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

03/7/19

3/7/19